

मिट्टी तेल आवंटन

संख्या-05/2017/326/29-7-2017-एम-143/2006 टी0सी0

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2- राज्य स्तरीय समन्वयक,
भारतीय तेल निगम,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-7

लखनऊ:: दिनांक 07 जुलाई, 2017

विषय:-भारत सरकार से प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2017 के लिये प्राप्त मिट्टी के तेल का मासिक कम्पनीवार आवंटन।

महोदय,

भारत सरकार, पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल, नई दिल्ली (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के पत्र संख्या-डी-11013/01/2017-IV दिनांक 19-06-2017 द्वारा द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2017 के लिये 233640 के0एल0 मिट्टी के तेल का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रश्नगत मिट्टी के तेल के आवंटन के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत दो प्रकार के लाभांवित परिवारों की श्रेणी अर्थात् पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय का चयन किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार से प्राप्त प्रति माह आवंटन के सापेक्ष आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी अद्यतन राशनकार्डों की संख्या दिनांक 29 जून, 2017 के आधार पर पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशनकार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 04 लीटर प्रति राशनकार्ड के सापेक्ष आवंटन तैयार किया गया है। तदनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों को संलग्न तालिका के अनुसार मासिक आवंटन किया गया है। (संलग्न प्रति)

3- यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 04 लीटर प्रति राशनकार्ड मिट्टी के तेल के वितरण के उपरांत जो भी तेल अवशेष बचेगा उसे जिलाधिकारी पात्र राशनकार्ड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

धारकों में अनुमन्य मात्रा में ही आवश्यकतानुसार अपने स्तर से वितरित करायें अथवा जनपद स्तर पर इसे सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखेंगे।

4- यह भी अवगत कराना है कि प्रत्येक त्रैमास में शासन स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं परन्तु अधिकांश जनपदों से मिट्टी के तेल का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः प्रत्येक माह पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में वितरित मिट्टी के तेल की पूरी मात्रा निर्धारित प्रारूप पर तहसीलवार आगामी माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाय ताकि मिट्टी के तेल के दुरुपयोग/व्यवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके। इस हेतु संबंधित जिलापूर्ति अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त के अतिरिक्त यह भी निदेश है कि शासनादेश संख्या-2490/29-6-2015-सा/98, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार मिट्टी के तेल के उठान, वितरण एवं सत्यापन हेतु रोस्टर के निर्धारण का अनुपालन सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-कम्पनीवार ब्रेक-अप।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

संख्या-05/2017/326(1)/29-7-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 50प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-05/2017/326/29-7-2017-एम-143/2006 टी0सी0, दिनांक 07 जुलाई, 2017
का संलग्नक

क्रमांक	जनपद का नाम	आई0ओ0सी0	एच0पी0सी0	बी0पी0सी0	योग
1-	आगरा	912	180	324	1416
2-	अलीगढ़	840	168	300	1308
3-	इलाहाबाद	1428	288	516	2232
4-	अम्बेडकर नगर	792	0	0	792
5-	अमेठी	516	108	180	804
6-	अमरोहा	432	300	0	732
7-	औरैया	372	72	132	576
8-	आजमगढ़	1032	216	372	1620
9-	बागपत	252	48	96	396
10-	बहराइच	1092	468	0	1560
11-	बलिया	900	180	324	1404
12-	बलरामपुर	420	0	288	708
13-	बांदा	480	0	324	804
14-	बाराबंकी	960	204	336	1500
15-	बरेली	1092	216	396	1704
16-	बस्ती	552	0	384	936
17-	बिजनौर	744	156	264	1164
18-	बदायूं	696	144	252	1092
19-	बुलन्दशहर	828	168	300	1296
20-	चन्दौली	444	96	156	696
21-	चित्रकूट	300	0	132	432
22-	देवरिया	780	156	288	1224
23-	एटा	636	0	0	636
24-	इटावा	432	84	156	672
25-	फैजाबाद	576	120	204	900
26-	फर्रुखाबाद	276	0	420	696
27-	फतेहपुर	636	132	228	996
28-	फिरोजाबाद	528	348	0	876
29-	गौतमबुद्धनगर	216	0	204	420
30-	गाजियाबाद	516	108	180	804
31-	गाजीपुर	840	168	300	1308
32-	गोण्डा	804	168	288	1260

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

33-	गोरखपुर	1140	228	408	1776
34-	हमीरपुर	300	0	204	504
35-	हापुड	252	168	0	420
36-	हरदोई	1152	240	408	1800
37-	हाथरस	372	72	144	588
38-	जालौन	432	84	156	672
39-	जौनपुर	1104	228	396	1728
40-	झांसी	492	324	0	816
41-	कन्नौज	396	264	0	660
42-	कानपुर देहात	432	300	0	732
43-	कानपुर नगर	1056	216	372	1644
44-	कासगंज	300	204	0	504
45-	कौशाम्बी	396	0	264	660
46-	लखीमपुर खीरी	1164	240	408	1812
47-	कुशीनगर	1140	228	420	1788
48-	ललितपुर	312	216	0	528
49-	लखनऊ	936	192	336	1464
50-	महोबा	0	84	348	432
51-	महराजगंज	1032	0	0	1032
52-	मैनपुरी	456	0	300	756
53-	मथुरा	660	132	240	1032
54-	मऊ	540	108	204	852
55-	मेरठ	624	132	228	984
56-	मिरजापुर	624	132	216	972
57-	मुरादाबाद	696	144	252	1092
58-	मुजफ्फरनगर	648	132	240	1020
59-	पीलीभीत	612	0	168	780
60-	प्रतापगढ़	696	0	456	1152
61-	रायबरेली	828	168	300	1296
62-	रामपुर	576	120	204	900
63-	सहारनपुर	780	156	276	1212
64-	सम्भल	504	108	180	792
65-	संतकबीरनगर	732	0	0	732
66-	संतरविदास नगर (भदोही)	408	0	264	672

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

67-	शाहजहांपुर	696	144	252	1092
68-	शामली	288	60	108	456
69-	श्रावस्ती	276	0	192	468
70-	सिद्धार्थनगर	612	0	420	1032
71-	सीतापुर	1200	240	444	1884
72-	सोनभद्र	468	0	312	780
73-	सुल्तानपुर	612	120	228	960
74-	उन्नाव	900	180	324	1404
75-	वाराणसी	840	168	312	1320
	योग	49008	9828	17328	76164

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।